अनुदान संख्या 10 – कोयला विभाग
GRANT No. 10–DEPARTMENT OF COAL

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	319,82,00		319,83,00	284,03,96	–35,79,04
पूरक	Supplementary	1,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					13,36,47
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			128,50,00	1,22,23,54	–6,26,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					6,24,54

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/ excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451'' सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	1127.00	818.83	812.54	–6.29
पु.	R.	–308.17			
मुख्य शीर्ष "2803'' कोयला और लिग्नाइट	Major Head "2803" Coal and Lignite				
मू.	O.	25476.00	24448.70	24445.42	–3.28
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	–1028.30			

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head			
मुख्य शीर्ष "2552''	Major Head "2552"			
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas	2233.00	. .	–2233.00

(I) 2233.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष " 2552''- "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान'' के अंतर्गत एक मामले में इस तथ्य के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा कि कोयला कंपनियों के पास पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यान्वयन के लिए कोई स्कीम नहीं थी।

(I) Provision of Rs.2233.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" – "Other Expenditure – Provision for projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" – due to the fact that coal companies did not have any scheme for Implementation in North Eastern Region.

(II) मुख्य शीर्ष "3451'' - "सचिवालय - कोयला विभाग'' के अंतर्गत 314.46 लाख रु. की बचत (1127.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, छुट्टी यात्रा रियायत के कम दावे प्राप्त होने और साथ ही प्रत्याशा की अपेक्षा स्कीमों को मूर्तरूप न दिए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "3451" - "Secretariat - Department of Coal" - saving of Rs.314.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1127.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards medical reimbursement, leave travel concession and also on account of non-materialisation of schemes than anticipated.

(III) मुख्य शीर्ष "2803'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईः-

(III) Under Major Head "2803" - savings occurred under the following heads:-

(का) "कोयला और लिग्नाइट कंपनियों को सहायता - कोयला पूरित क्षेत्रों में परिवहन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए उपकर (उत्पाद शुल्क) संग्रहण के लिए अदायगी''- 1003.00 लाख रु. की बचत (6912.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने की वजह से टोरी शिवपुर रेलवे लाइन के लिए रेलवे को निधियां जारी न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Assistance to Coal and Lignite companies- Payment against collection of cess (excise duty) towards development of Transportation Infrastructure in Coalfield Areas" - saving of Rs.1003.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6912.00 lakhs) was due to non-release of funds to Railways for Tori-shivpur Railway Line owing to availability of unspent balance of previous year.

(खा) "अन्य व्यय''-

(B) "Other Expenditure" -

(क) "क्षेत्रीय अन्वेषण''- 884.00 लाख रु. की बचत (5184.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अन्वेषण के लिए प्रत्याशा से कम तलभेदन कार्य किए जाने के कारण हुई।

(a) "Regional Exploration" - saving of Rs.884.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5184.00 lakhs) was due to less drilling work for exploration than anticipated.

(ख) ''पर्यावरणीय उपाय तथा अवतलन नियंत्रण''- 1337.00 लाख रु. की बचत (1822.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अपसर्जित कोयला खानों के पुनःस्थापन के लिए कुछ स्कीमों को मूर्तरूप न दिए जाने, संकटग्रस्त क्षेत्रों से और अग्नि एवं अवतलन संबंधी स्कीमों से लोगों को स्थानांतरित किए जाने के कारण हुई।

(b) "Environmental Measures and Subsidence Control" - saving of Rs.1337.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1822.00 lakhs) was due to non-materialisation of some schemes for restoration of abandoned coal mines, shifting of people from endangered areas and schemes for fire and subsidence.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (1003.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष ''2803'' - ''कोयला और लिग्नाइट कंपनियों को सहायता - कोयला और कोक पर उपकर (उत्पाद शुल्क) संग्रहण के लिए अदायगी'' के अंतर्गत मार्च, 2005 में 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय द्वारा 1002.00 लाख रु. था।

2.(I) The above savings were partly (Rs.1003.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh in March,2005 under Major Head "2803" – "Assistance to Coal and Lignite Companies - Payment against collection of cess (excise duty) on coal and coke" – Actual excess, however, was Rs.1002.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2803'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2803" - under the following heads:-

(का) ''अनुसंधान और विकास - अन्य स्कीमें''- 255.00 लाख रु. का अधिक व्यय (988.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोयला तल (बेड) मिथेन परियोजना की चालू स्कीमों के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(A) "Research and Development - Other Schemes" - excess of Rs.255.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.988.00 lakhs) was due to requirement of additional funds for on going schemes of Coal Bed Methane Project.

(खा) ''अन्य व्यय - विस्तृत तलभेदन''- 967.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1283.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष में तलभेदन कार्यों के दावों को पूरा किए जाने के कारण हुआ।

(B) "Other Expenditure - Detailed Drilling" - excess of Rs.967.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1283.00 lakhs) was due to meeting claims of drilling works in previous year.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4803'' कोयला और लिग्नाइट पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4803" Capital Outlay on Coal and Lignite				
मू.	O.	2500.00	1875.46	1873.54	–1.92
पु.	R.	–624.54			

(I) ''अन्य व्यय - कोयला वहन क्षेत्रों का अधिग्रहण'' के अंतर्गत 626.46 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कंपनियों से कोयला वहन क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

4. कोयला खान श्रमिक आवास तथा सामान्य कल्याण निधि:-

कोयला खान कल्याण निधि अधिनियम, 1947 के अधीन कोयले और कोक के प्रेषण पर लगाए गए उपकर की प्राप्तियां शीर्ष ''0038'' - ''संघ उत्पाद शुल्क'' को क्रेडिट की जाती थी तथा बजटीय आवंटन के माध्यम से कुछ राशि निधि को अंतरित कर दी जाती थी। यह अधिनियम पहली अक्तूबर, 1986 को निरस्त कर दिया गया है; तथापि, संपूर्ण राशि भारत की समेकित निधि को अंतरित नहीं की गई थी।

वर्ष 2004-05 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

(I) Under "Other Expenditure - Acquisition of Coal Bearing Areas" - saving of Rs.626.46 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals for acquisition of Coal Bearing Areas from companies.

4. Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund:-

The proceeds of cess levied on the despatch of coal and coke under Coal Mines Welfare Fund Act, 1947 was credited to the head "0038" - "Union Excise duties" and some amount out of it was being transferred to the fund through budgetary allocation. The said Act has been repealed on 1st October, 1986 however, all the amounts were not transferred to Consolidated Fund of India.

The account of the fund for the year 2004-05 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	9,18,96
प्राप्तियां	Receipts	2,88,80
अदायगियां	Payments	9,71
अंतशेष	Closing Balance	11,98,05

5. केंद्रीय कोयला खान बचाव केंद्र निधि:-

कोयला खानों में बचाव सेवा कोयला खान बचाव नियम, 1959 के अधीन केन्द्रीय कोयला खान बचाव केंद्र समिति द्वारा स्थापित की गई है। बचाव एवं खान में फंसे व्यक्तियों को बाहर निकालने के अलावा बचाव केंद्र किसी प्रकार के विस्फोट, हानिकारक एवं ज्वलनशील गैसों से आग लगने की संभावनाओं को कम करने और कोयला खानों के कामगारों के आरक्षित बचाव के लिए प्रशिक्षण देने के उपाय भी करते हैं। समिति के कार्यकलापों को खानों से उत्पादित और प्रेषित कोयला और कोक पर लगाए गए उपकर की उगाही द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। खान बचाव सेवाओं के संघटन और विस्तार संबंधी कार्यकलापों का वित्तपोषण सीआरआई से अंशदान द्वारा किया जाता है। वर्ष 1986 से

5. Central Coal Mines Rescue Station Fund:-

The Rescue Service in Coal Mines is organised by the Central Coal Mines Rescue Station Committee constituted under the Coal Mines Rescue Rule, 1959. Besides the rescue and recovery work, rescue station taken steps to minimise possibility of any explosion, outbreak of fire on dangerous eruption of noxious and inflammable gases and also train colliery workers in reserve recovery. The activities of the committee are financed by the levy of Cess on Coal and Coke produced and dispatched from Mines. The activities relating to mobilisation and expansion of mines rescue services are financed by means of contribution from the CRI. There was no

निधि में कोई लेन-देन नहीं किया गया था और इस प्रकार वर्ष 2003-04 के अंत में भी अंतशेष 1986-87 के अंत के समान उसी स्तर पर (अर्थात ऋण 44,32 हजार रु.) था। बचाव केंद्र समिति का 2 अप्रैल, 1985 से कोल इंडिया लि. में अंतरण कर दिया गया है और ऋण 44,32 हजार रु. के प्रतिकूल शेषों के अंतरण का कोल इंडिया लि. द्वारा दिसंबर, 2004 में समाशोधन कर दिया गया है।

transaction in the fund since 1986 and as such the closing balance at the end of 2003-04 stood at the same level (i.e. Rs. Minus 44,32 thousands) at the end of 1986-87. The rescue station committee has since been transferred to Coal India Limited with effect from 2nd April,1985 and the transfer of adverse balances of Rs. Minus 44,32 thousands has been cleared by the Coal India Limited in December, 2004.